

अधिसूचना

संख्या 15/ एम 1-71/2016/ बिहार अधिनियम 13, 2016 दिनांक 17.08.2016 की धारा-1(2) के तहत इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की शक्ति अधिसूचना द्वारा तिथि नियत कर राज्य सरकार को प्रदत्त की गई है। उक्त आलोक में इस अधिनियम को दिनांक 18.03.2018 से प्रवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) की धारा 2(ज) में प्रदत्त शक्ति के तहत दिनांक 18.03.2018 से राज्य में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना की जाती है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा तथा इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता, पटना प्रमण्डल के पटना (पटना विश्वविद्यालय की अधिकारिता में पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालन्दा जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता होगी।

3. दिनांक 18.03.2018 से पटना प्रमण्डल के पटना (पटना विश्वविद्यालय की अधिकारिता में पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालन्दा जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले सभी डिग्री महाविद्यालयों के अभिलेख, प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों का नियंत्रण पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना में निहित होगा।

4. पटना प्रमण्डल के पटना (पटना विश्वविद्यालय की अधिकारिता में पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालन्दा जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले सभी अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों की आस्तियाँ एवं देयताएँ दिनांक 18.03.2018 से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के अधिकारिता में घोषित किए जाते हैं।

5. पटना प्रमण्डल के पटना (पटना विश्वविद्यालय की अधिकारिता में पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालन्दा जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी दिनांक 18.03.2018 से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी माने जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/ एम 1-71/2016

पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/ एम 1-71/2016 - 700

पटना, दिनांक 09/4/2018

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सभी विभागों के प्रधान सचिव, बिहार/सचिव, बिहार/विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/राज्य परियोजना निदेशक, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों/अकादमी के अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।


(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव